तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.3.16	पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उप0/ प्रा0 पत्र 09 नियम 09 (1) सपठित आदेश 07 नियम 11 का जवाब पेश किया गया, जिसकी नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दी गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18.3.16 को पेश होवे। [illegible]	
18.3.16	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा साक्ष्य स्लाइड पेश किये गये, जो शामिल पत्रा0 किये गये। वकील वादी बहस हेतु अवसर चाहते हैं पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.4.16 को पेश हो। [illegible]	
22-4-16	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.4.16 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
26-4-16	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27.9.16 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
19-5-16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बागोर पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण को समन बाद तामिल प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] किये गये। वादी हीरालाल [illegible] के शामिल पत्रावली किये गये। [illegible] उपस्थित। प्रतिवादी गण क्र. 1 व 2 उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] उपस्थित। प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 जा.दी. क्र. 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। प्रतिवादी क्र. 1 व 2 की बहस [illegible] सुनी गयी। बहस के दौरान प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के [illegible] तथ्यों, दस्तावेजों के इकरार प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद पत्र खारीज किये जाने की इच्छा की, जबकि वादी ने बहस [illegible] (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर माण्डल	ह0 हीरालाल गोविंदराम शर्मा नि. मंगला [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दौरान प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की दरखास्त की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने कथन किया कि वादी ने एक वाद पत्र कब्जा दिलवाये जाने का दिनांक 30-12-2006 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत वाद पत्र ~~गया~~ गया। जो दिनांक 3-1-07 को पंजीबद्ध किया गया। जो दिनांक 10-6-10 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया गया। वादी द्वारा पुनः दिनांक 30-10-12 को इन्हीं पक्षकारों के मध्य उन्हीं तथ्यों पर पुनः नया वाद पत्र पेश कर दिया। जिसका वादी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज होने के पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया है जो केवल मियाद होने के पुनः प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि वाद लेकर नया वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत होने के बावजूद नया वाद पत्र प्रस्तुत किया। वाद उत्पन्न पूर्व में ही हो जाने के बाद के दौरान करने का कोई अधिकार नहीं। वादी ने अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज केवल वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसके खारीज होने के पुनः नया वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जबकि प्रतिवादी के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की तसदीक प्रस्तुत दस्तावेजों से होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 07 R11 जाप्ता दीवानी को प्रतिवादी सं0 1 व 2 सिद्ध करने में कामयाब रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ- अतः

:: आदेश ::

प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R11 जा0 दी0 को स्वीकार किया जाकर वादी ~~का~~ वाद पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
... सहायक कलेक्टर माण्डल